

ध्वनि प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट नाराज, मांगा कार्रवाई का पूरा ब्यौरा

प्रशासन को शपथपत्र में बताना होगा- कितने मामलों में कार्रवाई हुई और क्या परिणाम रहा

इंदौर. शहर में बढ़ते ध्वनि और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर दफतरी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रशासनिक अधिकारियों के जवाब पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि केवल कार्रवाई किए जाने की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है. अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा.

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस नंदोशंकर अग्रस्थी की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि प्रशासन बताए कि कितने लोगों या संस्थाओं के खिलाफ

कार्रवाई की गई, किन कानूनों के तहत कार्रवाई हुई और उसका परिणाम क्या रहा. याचिकाकर्ता अभिमान उपायध्याय और अन्य की ओर से अधिकार अभिनव पी. धनोडकर ने कोर्ट को बताया कि शहर में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है. शिकायतों के बावजूद कार्रवाई अपेक्षित स्तर पर नहीं है. सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर खजाना जोन के एसीपी आशीष पटेल, महाराजराज जोन के एसीपी एएस जादौन और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सतीश चौधरी उपस्थित हुए. अधिकारियों ने प्रदूषण फैलाने वालों के

खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी, लेकिन कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने अधिकारियों को शपथपत्र में कार्रवाई की स्थिति, लक्षित मामलों और भविष्य में प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देने के निर्देश दिए. साथ ही जिला दंडाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को रिपोर्ट भी मांगी गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि ध्वनि और पर्यावरण प्रदूषण नगरपालिका के स्वास्थ्य और संचधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा विषय है. मामले की आगामी सुनवाई अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगी.

मामलों में किया गया. बैंक खातों के विश्लेषण में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन मिले हैं. क्राइम ब्रांच अब संबंधित राज्यों की पुलिस से समन्वय कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है.

आरोपियों से ड्रग्स के स्रोत और सप्लायर नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है. नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

- डीसीपी क्राइम, राजेश त्रिपाठी

प्राइस के बाद इलियास गंभीर रूप से घायल होकर कुछ समय तक सड़क पर लेटे रहे. राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. जांच में सामने आया कि इलियास किसी प्रकार में कोर्ट में पेशी के लिए इंदौर आये थे. पेशी पूरी होने के बाद वह पैदल बस स्टैंड की ओर जा रहे थे. इसी दौरान गैल ब्रिज पर तेज रफ्तार से चलता वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और इलियास वाहन सहित फरार हो गया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि इलियास खेती किसानों के होते थे. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन चालक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर वाहन और चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. मामले की जांच जारी है।